वर्तमान प्रार्थी उपस्थित मूल दावा प्रार्थना
पत्र की विधि जा चुकी है और इस प्रार्थना
पत्र का कोई औचित्य नहीं है अतः
प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है पत्रावली
पैरवी प्रमाण किया गया जो क्रम होगा
तरमीम जाता मूल दावा में लगाया रहे।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.05 11:21:48 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner